संख्या : I/88670/XXVII(10)/2023–21/2015

प्रेषक,

आनन्द बर्द्धन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी)
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक– ०५ जनवरी, 2023

विषयः– वैयक्तिक लेखा खातों (PLA) के संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि शासकीय धनराशि जमा करने हेतु वैयक्तिक लेखा खाता (पी0एल0ए0) खोले जाने एवं उनके समुचित रख–रखाव के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–17/21/xxvii(10)/2015/2019, दिनांक–08 जनवरी, 2020 एवं पूर्व में भी समय–समय पर दिशा–निर्देश जारी किये गये है। शासन के संज्ञान में यह आया है कि विभागों द्वारा राज्य की समेकित निधि से धनराशियों को आहरित कर और विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्त में वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कर दी जाती है। यह धनराशियां अग्रेत्तर वर्षो में भी निष्प्रयोज्य पड़ी रहती है और विभागों द्वारा इनका उपयोग नही किया जाता है। यह स्थिति उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के पैरा–138 से 146 तक में दी गयी व्यवस्था के प्रतिकूल है एवं इससे राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। राज्य की समेकित निधि से धनराशियों को निकाल कर वैयक्तिक लेखा खाते में रखे जाने एवं कई वर्षो तक अप्रयुक्त रहने पर महोलखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा भी समय–समय पर गम्भीर आपत्ति व्यक्त की गयी है।

02. उक्त शासनादेश संख्या–17/21/xxvii(10)/2015/2019, दिनांक–08 जनवरी, 2020 के प्रस्तर–02 के क्रमांक–01 पर वर्गीकृत सरकारी विभाग के वैयक्तिक लेखा खाते मुख्य लेखा शीर्षक 8443–सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक–106–निजी जमा की व्यवस्था को दिनांक–31 मार्च, 2023 से समाप्त करते हुए इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते हैं :–

(01) वर्तमान में उक्त मुख्य लेखा शीर्षक 8443–106 के अन्तर्गत खोले गये वैयक्तिक लेखा खाते में जो धनराशियॉ अवशेष पड़ी है, प्रशासकीय विभाग आवश्यकता एवं औचित्य पाये जाने पर उसका उपयोग निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से पी0एल0ए0 के नवीनीकरण करवाये जाने के उपरान्त दिनांक–31 मार्च, 2023 तक ही उपयोग कर पायेंगे।

(02) सरकारी विभाग के वैयक्तिक लेखा खातों (PLA) (मुख्य लेखा शीर्षक–8443–सिविल जमा के अधीन लघुशीर्षक–106–निजी जमा के अन्तर्गत) में

अवशेष समस्त धनराशियों को दिनांक–31 मार्च, 2023 के उपरान्त शासनादेश संख्या–17/21/xxvii(10)/2015/2019, दिनांक–08 जनवरी, 2020 के प्रस्तर–6(2) में उल्लिखित लेखाशीर्षक–2075–00–911–03–00 में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा आई0एफ0एम0एस0 पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस हेतु आई0एफ0एम0एस0 में यथोचित प्राविधान निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, उत्तराखण्ड द्वारा किया जायेगा।

(03) शासनादेश संख्या–17/21/xxvii(10)/2015/2019, दिनांक–08 जनवरी, 2020 के प्रस्तर–02 के क्रमांक–(2), (3) एवं (4) में उल्लिखित श्रेणियों के अन्तर्गत पी0एल0ए0 का संचालन पूर्ववत् निर्धारित प्रक्रियानुरूप किया जाता रहेगा। इस श्रेणी के पी0एल0ए0 के नवीनीकरण के सम्बन्ध में उक्त शासनादेश दिनांक–08 जनवरी, 2020 के प्रस्तर–02 के अन्तर्गत वर्णित व्यवस्था यथावत प्रभावी रहेगी।

(04) शासनादेश संख्या–17/21/xxvii(10)/2015/2019, दिनांक–08 जनवरी, 2020 के प्रस्तर–02 के क्रमांक–(2), (3) एवं (4) में क्रमशः वर्गीकृत विभिन्न निगमों के वैयक्तिक लेखा खाते (मुख्य लेखा शीर्षक 8443–800–अन्य जमा) विश्वविद्यालयों तथा इस प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं के वैयक्तिक लेखा खाते (मुख्य लेखा शीर्षक 8443––स्थानीय निधियों की जमा के अधीन लघु शीर्षक–110–शिक्षा निधियां) तथा परिषदों तथा स्थानीय निकायों के वैयक्तिक लेखा खाते (मुख्य लेखा शीर्षक 8448 के अधीन सुसंगत लघु शीर्षक) के अन्तर्गत खोले गये पी0एल0ए0 में वही धनराशियां रखी जायेंगी जो कि उक्त श्रेणियों के अन्तर्गत वास्तविक रूप से आती हो और तत्सम्बन्धी शासनादेश में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख किया गया हो। किसी भी दशा में अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं आदि से सम्बन्धित धनराशि संचित निधि से आहरित कर इन श्रेणियों के अन्तर्गत खोले गये पी0एल0ए0 में स्थानान्तरित नही की जायेगी। ऐसे किसी भी आहरण को वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

(05) सम्बन्धित कोषाधिकारी संचित निधि से आहरित धनराशि को पी0एल0ए0 में स्थानान्तरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करेंगे कि पी0एल0ए0 में हस्तान्तरित की जाने वाली धनराशि उन्ही मदों से सम्बन्धित है, जिस वर्ग के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग का पी0एल0ए0 खोला गया है। राज्य की संचित निधि से आहरित ऐसी किसी भी धनराशि को पी0एल0ए0 में किसी भी दषा में स्थानान्तरित न किया जाय, जो कि उक्त वर्गीकरण के अन्तर्गत खोले गये पी0एल0ए0 से सम्बन्धित न हो।

(06) दिनांक–01 अप्रैल, 2023 से राज्यान्तर्गत निम्नलिखित वर्गीकरण के अनुसार ही वैयक्तिक लेखा खाते (पी0एल0ए0) संचालित किये जायेगें।

(1)	विभिन्न निगमों के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक–8443–800–अन्य जमा के अन्तर्गत
(2)	विश्वविद्यालयों तथा इस प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक 8448––स्थानीय निधियों की जमा के अधीन लघु शीर्षक–110–शिक्षा निधियां
(3)	परिषदों तथा स्थानीय निकायों के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक 8448 के अधीन सुसंगत लघु शीर्षक

03. शासनादेश संख्या–17/21/xxvii(10)/2015/2019, दिनांक–08 जनवरी, 2020 के प्रस्तर–02 के क्रमांक–01 में उल्लिखित सरकारी विभाग के वैयक्तिक लेखा खातों के मुख्य लेखा शीर्षक–8443–सिविल जमा के अधीन लघुशीर्षक–106–निजी जमा से सम्बन्धित शर्तो का जहॉं भी उल्लेख किया गया है, उन्हें दिनांक–31 मार्च, 2023 के बाद से निष्प्रभावी समझा जाय। शेष शर्ते यथावत् प्रभावी रहेगीं।

04. कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

Signed by Anand Bardhan
Date: 04.01.2023 17:11:50
(आनन्द वर्धन)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या : /XXVII(10)/2022–21/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, कौलागढ़, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार, आडिट, वैभव पैलेस, इन्द्रा नगर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
4. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, मण्डल, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड के माध्यम से)।
10. निदेशक, बजट निदेशाालय, उत्तराखण्ड।
11. अनुभाग अधिकारी, वित्त अनुभाग–01 से 09, उत्तराखण्ड शासन।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिता जोशी)
अपर सचिव।

संख्याः– 17 /21/xxvii(10)/2015/2019

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

वित्त अनुभाग–10 देहरादूनः दिनांक 09 जनवरी, 2020

विषयः–तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को बन्द कर उसमें अवशिष्ट धनराशियों को सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

अवगत कराना है कि कोषागारों में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–I के प्रस्तर–340 (बी)(2) के प्राविधानों के अन्तर्गत वैयक्तिक लेखा खाते शासन की विशिष्ट स्वीकृति से महालेखाकार के परामर्श से सरकारी सेवकों के पदनाम से खोले जाते हैं। इस बैंकिग प्रकृति के खातों में शासन की स्वीकृति से ही धनराशि जमा की जाती है। वैयक्तिक लेखा खाते में जमा की गई धनराशि सम्बंधित वैयक्तिक लेखा खाता धारक द्वारा तभी आहरित की जा सकती है, जब उसकी वास्तव में आवश्यकता हो तथा धनराशि आहरित करने हेतु उसे शासन/सक्षम अधिकारी द्वारा अपेक्षित अनुमति प्राप्त हो। नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निधि के भी वैयक्तिक लेखा खाते कोषागारों में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–I के प्रस्तर 363 तथा 364 के प्राविधानों के अन्तर्गत रखे जाते हैं।

2. समस्त विभागों/संस्थाओं/निगमों/विश्वविद्यालयों/परिषदों/स्थानीय निकायों के पी0एल0ए0 खातों को शासनादेश संख्याः एस–1–1851/दस–99–10(01)/99 दिनांक 21, अगस्त, 1999 के वर्गीकरण के अनुसार ही निम्नवत् खोला जायेगाः–

(1) सरकारी विभाग के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक–8443–सिविल जमा के अधीन लघु शीर्षक–106–निजी जमा के अन्तर्गत।
(2) विभिन्न निगमों के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक–8443–800–अन्य जमा के अन्तर्गत।
(3) विश्व विद्यालयों तथा इस प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्ष–8448–स्थानीय निधियों की जमा के अधीन लघु शीर्षक–110–शिक्षा निधियां।
(4)परिषदों तथा स्थानीय निकायों के वैयक्तिक लेखा खाते	मुख्य लेखा शीर्षक–8448 के अधीन सुसंगत लघु शीर्षक

8443–106 को छोड़कर अन्य मदों में प्रति वर्ष नवीनीकरण हेतु महालेखाकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी तथा सरकारी विभागों के पी0एल0ए0 खातों में जमा धनराशियों का विशेष परिस्थितियों में वित्त विभाग की अनुमति से अगले वित्तीय वर्ष के अन्त तक उपभोग करने की अनुमति दी जा सकती है, तथा उसके बाद में धनराशि लैप्स हो जायेगी।

3. उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष में आंवटित की गयी धनराशि यदि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपयोग में नहीं लायी जाती है, तो वह वित्तीय वर्ष में समाप्ति पर व्यपगत् हो जानी चाहिये। विभागों द्वारा राज्य की समेकित निधि से धनराशियों को आहरित कर वैयक्तिक लेखा खाते में जमा कर दी जाती हैं। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्त में इस प्रक्रिया के प्रकरणों में अत्यधिक वृद्धि परिलक्षित होती है। ये धनराशियां कई वर्षो तक निष्प्रयोज्य पड़ी रहती है एवं विभागों द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जाता है।यह स्थिति भारतीय संविधान के अनुच्छेद–202 व बजट मैनुअल के प्राविधानों के प्रतिकूल है एवं इससे राज्य सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। समेकित निधि से धनराशियों को निकाल कर वैयक्तिक लेखा खाते में रखे जाने एवं कई वर्षो तक अप्रयुक्त रहने पर महालेखाकार, उत्तराखण्ड द्वारा भी आपत्ति व्यक्त की गयी है।

4. "उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली–1998" उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त के भाग–4 का प्रस्तर–10(2), जो खाते बन्द किये जाने के सम्बन्ध में उल्लेख है कि यदि किसी वैयक्तिक लेखा खाते में तीन वर्ष तक कोई भी लेन–देन न हो, तो ऐसे खाते को बन्द करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुरोध किया जायेगा। यदि लिखित अनुरोध की तिथि से तीन माह तक सक्षम प्राधिकारी का उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो कोषाधिकारी द्वारा महालेखाकार के परामर्श से, यदि खाते में कोई धनराशि अवशेष है, तो उसे सुसंगत लेखाशीर्षक के अन्तर्गत जमा कर दिया जायेगा तथा खाते को बन्द कर दिया जायेगा एवं इसकी सूचना सक्षम प्राधिकारी को दी जायेगी। उक्त परिस्थितियों में खाता बन्द किये जाने की दशा में राज्य सरकार को यदि हानि होती है तो हानि के लिये सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

5. उपरोक्त नियमावली में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन हेतु महालेखाकार, उत्तराखण्ड, निदेशक, कोषागार उत्तराखण्ड एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारियों द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि अवशेष धनराशि को सुसंगत सेवा प्राप्ति लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु नियमों के अन्तर्गत व समुचित कार्यवाही नहीं की जा रही है एवं अवशेष धनराशि को प्राप्ति

लेखाशीर्षक में जमा करने हेतु उनके द्वारा पी0एल0ए0 चेक भी निर्गत नहीं किये जा रहे हैं, जिसके कारण तीन वर्ष या अधिक समय से असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को बन्द कर उसमें अवशिष्ट धनराशियों को सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

6. अतः उक्त समस्या के निदान हेतु सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैः—

(1) कोषागार स्तर पर प्रतिवर्ष अप्रैल माह में कोषागार सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऐसे वैयक्तिक लेखा खातों को चिन्हित किया जायेगा, जिसमें विगत तीन वर्षो से कोई लेन—देन न हुआ हो।

(2) उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली 1998 के भाग—4 के प्रस्तर—10 (2) के क्रम में ऐसे खातों को बन्द करने हेतु कोषाधिकारी द्वारा जिस धनराशि का लेखाशीर्षक ज्ञात नहीं हैं, उस धनराशि को जमा करने हेतु सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का लिखित अनुरोध किया जायेगा कि इस धनराशि को लेखाशीर्षक—"2075—00—911—03—00" में जमा कर दें एवं पत्र में यह भी उल्लेख रहेगा कि लिखित अनुरोध की तिथि से तीन माह तक यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा धनराशि जमा नहीं करायी जाती है एवं खाते को बन्द करने की कार्यवाही नहीं की जाती है, तो सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा स्वंय इस धनराशि को लेखाशीर्षक—"2075—00—911—03—00" में जमा कर दिया जायेगा एवं वैयक्तिक लेखा खाते को बंद कर दिया जायेगा। जिस धनराशि के आहरण के लेखाशीर्षक ज्ञात है उस धनराशि को उसी लेखाशीर्षक के अन्तर्गत लघु शीर्षक "911 डिडक्ट रिफण्ड" खोल कर उसके अन्तर्गत जमा किया जायेगा। यदि बजट साहित्य में ऐसा लेखाशीर्षक उपलब्ध नहीं है, तो निदेशक, कोषागार द्वारा बजट अधिकारी से अनुरोध करके उक्त लेखाशीर्षक खोले जाने की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। किसी भी स्थिति में पी0एल0ए0 की अवशेष धनराशि को राजस्व लेखा शीर्षक में जमा नहीं किया जायेगा।

(3) इस प्रकार जमा की गई धनराशि की सूचना सम्बन्धित विभाग को भेज दी जायेगी। उक्त बिन्दु—(2) के अनुसार खाता कोषाधिकारी द्वारा यदि पी0एल0ए0 स्वंय बंद किये जाने के पश्चात यदि राज्य सरकार को हानि होती है, तो उक्त हानि हेतु उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली—1998 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(4) तीन वर्ष से अधिक समय से असंचालित वैयक्तिक लेखा खातों को उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बंद करने हेतु कोषागार के सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन एवं महालेखाकार को भेजे जाने वाले प्रपत्र के प्रारूप का निर्धारण, निदेशक, कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड द्वारा कराया जायेगा।

(5) कोषागार द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि जमा किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश वैयक्तिक लेखा खाता नियमावली 1998 के भाग–चार के प्रस्तर–10(2) के अनुसार महालेखाकार, उत्तराखण्ड की सहमति के प्रत्येक प्रकरण में अलग से आवश्यकता नहीं रहेगी।

7. उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग एवं विभागाध्यक्ष उत्तरदायी होगें।

8. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्याः– 21/xxvii(10)/2015/2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून।

2– आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

3– निदेशक, कोषागार, पेंशन, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

4– निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।

5– समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड (निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड के माध्यम से)।

6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पी0सी0 खरे)
अपर सचिव